महत्वपूर्ण एवं खास

रिश्वत मांगने के मामले में सहायक उपनिरीक्षक निलंबित

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के कोटा थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हेमंत पाटले को ड्यूटी के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीन आचरण के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर की गई है। मामला थाना कोटा के अपराध क्रमांक 1121/2024 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता से संबंधित है, जिसमें अपहृता की बरामदगी के लिए राजस्थान जाने की कार्रवाई होनी थी। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स.उ.नि. हेमंत पाटले द्वारा अपहृता की मां से टीम के साथ राजस्थान जाकर बरामदगी के लिए रकम की मांग की जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स.उ.नि. पाटले को तत्काल निलंबित करते हुए रक्षित केंद्र, बिलासपुर में अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग की सेवा शर्तों और आचरण संहिता के उल्लंघन के तहत की गई है।

खारुन नदी में डूबे दो युवकों में से एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र स्थित काठाडीह सात पाखर डैम के पास खारुन नदी में नहाने गए दो युवक डूब गए। रविवार को हुई इस दुखद घटना में आज सुबह रेस्क्यू टीम को एक सफलता मिली, जब अर्जुन यादव का शव बरामद कर लिया गया। वहीं, दूसरे युवक भूपेश भूडे की तलाश एसडीआरएफ टीम द्वारा लगातार की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अर्जुन यादव निवासी नवा रायपुर और भूपेश भूडे निवासी जोरा अपने दोस्तों के साथ रविवार को एनीकेट, पत्रकारिता कॉलेज के पास खारुन नदी में नहाने पहुंचे थे। इस दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह पानी में डूबने लगा। दोस्त को बचाने की कोशिश में दूसरा युवक भी गहरे पानी में चला गया, जिससे दोनों डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अर्जुन यादव का शव नदी से बाहर निकाला गया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। भूपेश की तलाश अब भी जारी है।

नौकरी लगाने का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी शंकर लाल साहू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, शहर एएसपी लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। प्रकरण की जानकारी के अनुसार, धमतरी निवासी कौशल्या चंदेल ने आरोपी शंकर लाल साहू और रामाधार बंजारे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने वर्ष 2017 से 2018 के बीच अमीनपारा हरिजन सेवक संघ रायपुर में सदस्यता व छात्रावास अधीक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर किस्तों में कुल 10 लाख रुपये की ठगी की थी। जांच में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी शंकर लाल साहू 55 वर्ष, निवासी ग्राम रानी जरौद, जिला बलौदा बाजार, हाल निवासी खो-खो पारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर को दिनांक 27 अप्रैल 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

28.50 लाख रूपये के ईनामी 14 माओवादियों सहित 24 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर । आरएनएस

पूर्वी बस्तर डिवीजन परतापुर एरिया कमेटी एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के एसीएम-एओबी डिवीजन पीएलजीए सदस्य,पीपीसीएम-03,केएएमएस अध्यक्ष-02, पार्टी सदस्य-03, सेक्शन डिप्टी कमांडर-01, सीएनएम सदस्य-01 28.50 लाख रूपये के ईनामी 14 माओवादियों सहित कुल 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। समर्पण करने वालों में परतापुर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी -एसीएम, पार्टी सदस्य,एओबी डिवीजन के पीएलजीए सदस्य, माड़ डिवीजन प्लाटून नम्बर 32 के पार्टी सदस्य, केएएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकार स्कूल के शिक्षक, मिलिशिया कंपनी डिप्टी कमांडर, सीएनएम सदस्य, जनताना सरकार सदस्य, सावनार, कमकानार, केशकुतुल, चेरली एवं कंचाल आरपीसी के अन्य सदस्य शामिल है।

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, पुलिस महानिरीक्षक केरिपु सीजी सेक्टर छ0ग0 रायपुर, उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज, उप पुलिस महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर के मार्ग दर्शन व पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देशन में जिले में चलाये जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी, बस्तर फाईटर, एसटीएफ, कोबरा व केरिपु बल के द्वारा किये जा रहे संयुक्त प्रयासो से तथा छ0ग0 शासन की पुनर्वास एवं आत्मसर्पण नीति साथ ही छ0ग0 शासन द्वारा चलाये जा रहे नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर पूर्व बस्तर डिवीजन परतापुर एरिया कमेटी एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के एसीएम,एओबी डिवीजन पीएलजी ्र सदस्य,पीपीसीएम-3 केएएमएस अध्यक्ष-02, पार्टी सदस्य-03, सेक्शन डिप्टी कमांडर-01, सीएनएम सदस्य-01 कुल 28.50 लाख रूपये के ईनामी 14 माओवादियों सहित कुल 24 माओवादियों ने आज दिनांक 28/04/2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक केरिपु बीजापुर देवेन्द्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ जितेन्द्र कुमार यादव, कमांडेंट 85 वी बटालियन केरिपु सुनील कुमार राही, कमांडेंट 153 बटालियन अमित कुमार, कमांडेंट 170 बटालियन सरकार राजारमन, कमांडेंट 199 बटालियन आनंद कुमार, कमांडेंट 222बटालियन विजेंद्र सिंह, कमांडेंट 214 बटालियन केडी जोशी, कमांडेंट 202 कोबरा अमित कुमार, कमांडेंट 210 कोबरा अशोक कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक बीजापुर मयंक गुर्जर, उप पुलिस अधीक्षक घनश्याम कामड़े, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तिलेश्वर यादव, उप पुलिस अधीक्षक डीआरजी विनीत साहू, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स सुदीप सरकार, उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाईटर चन्द्रहास के समक्ष आत्मसमर्पण किये।

आत्मसमर्पित माओवादी के नाम एवं पद :-

1.सुदरू हेमला उर्फ राजेश पिता बुधू हेमला उम्र 33 वर्ष जाति मुरिया निवासी गुमरा ओयामपारा थाना नैमेड़ जिला बीजापुर, पदनाम- एसीएम/ भैरमगढ़ एरिया कमेटी, वर्ष-2005 से सक्रिय, ईनाम- 05.00 लाख रूपये।

2.कमली मोडियम उर्फ उर्मिला पिता चिन्ना मोडियम उम्र 36 जाति मुरिया निवासी मनकेली सरपंचपारा थाना बीजापुर जिला बीजापुर, पदनाम- एसीएम/ परतापुर एरिया कमेटी, दिसम्बर 2001 से सक्रिय, ईनाम- 05.00 लाख रूपये।

3.जयमोती पूनेम पिता सन्नू पूनेम उम्र 24 वर्ष जाति मुरिया निवासी पुसनार थाना गंगालूर, जिला बीजापुर, पदनाम- पार्टी सदस्य (गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत गंगालूर एलओएस डिप्टी कमांडर), वर्ष-2011 से सक्रिय, ईनाम- 03.00 लाख रूपये

4.शामनाथ कुंजाम उर्फ मनेष पिता सोनू कुंजाम उम्र 40 वर्ष जाति मुरिया निवासी डालेर स्कूलपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर, पदनाम- पार्टी सदस्य (एओबी अन्तर्गत सीसीएम उदय का सुरक्षा गार्ड कमाण्डर), वर्ष-2008 से सक्रिय, ईनाम- 02.00 लाख रूपये

5.चैतु कुरसम ऊर्फ कल्लू पिता सोमलू उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी मनकेली थाना बीजापुर जिला बीजापुर पार्टी सदस्य पीपीसीएम माड़ डिवीजन अंतर्गत प्लाटून नम्बर 32 का पार्टी सदस्य, वर्ष 2007 से सक्रिय, ईनाम – 02.00 लाख रूपये

6.बुच्ची माड़वी ऊर्फ रोशनी पति चैतु कुरसम उम्र 25 वर्ष जाति मुरिया निवासी ताड़मेटला थाना चिन्तागुफा जिला सुकमा , पदनाम- पार्टी सदस्या, पीपीसीएम माड़ डिवीजन अन्तर्गत प्लाटून नम्बर 32, वर्ष 2012 से सक्रिय, इनाम 02.00 लाख रूपये

7.सुखमति उरसा पिता लक्खू उरसा उम्र 28 जाति मुरिया निवासी केशकुतुल पेरमापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर, पदनाम- केशकुतुल आरपीसी जनताना सरकार सदस्या/केएएमएस अध्यक्ष, वर्ष-2009 से सक्रिय, 02.00 लाख रूपये।

8.सोमली हेमला पति सुक्कू हेमला उम्र 45 वर्ष जाति मुरिया निवासी मनकेली पटेलपारा थाना बीजापुर जिला बीजापुर, पदनाम- मनकेली आरपीसी केएएमएस अध्यक्ष, वर्ष-2008 से सक्रिय, ईनाम - 02.00 लाख रूपये।

9.बुज्जी पदम पिता सन्नू पदम उम्र 20 वर्ष जाति मुरिया निवासी मंडीमरका पदमपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा पदनाम – पीएलजीए सदस्य एओबी डिवीजन अन्तर्गत डीव्हीसीएम अरूणा की गार्ड, वर्ष 2015 से सक्रिय, ईनाम 01.00 लाख रूपये

10.सुक्को पुनेम उर्फ मंजूला पिता लक्खू पुनेम उम्र 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी पुसनार पेदापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- पार्टी सदस्या (सीआरबी/सीसीएम सेकेट्री ओएससी/ मनोज उर्फ भास्कर उर्फ बालाकृष्णा उर्फ बालन्ना उर्फ रामचन्द्रम का सुरक्षा गार्ड), वर्ष-2017 से सक्रिय, ईनाम - 01.00 लाख रूपये।

11. हिड़मे वेको उर्फ जुगनी पिता हुंगा वेको उम्र 22 वर्ष जाति मुरिया निवासी तिमेनार स्कूलपारा थाना मिरतुर जिला बीजापुर, पदनाम- पूर्व बस्तर डिवीजन अन्तर्गत आमदाई एरिया कमेटी पार्टी सदस्या, वर्ष-2008 से सक्रिय, ईनाम -01.00 लाख रूपये।

12.सोनी कोरसा उर्फ ललिता पिता सोम्बारू कोरसा उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी पदेड़ा तालाबपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- गंगालूर एरिया कमेटी अन्तर्गत पार्टी सदस्या/ गंगालूर एरिया कमेटी जनताना सरकार स्कूल शिक्षक, वर्ष 2006 से सक्रिय, ईनाम- 01.00 लाख रूपये।

13.लच्छा ताती उर्फ पोटका पिता मासा ताती उम्र 25 वर्ष जाति मुरिया निवासी सावनार मुकापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- सावनार/कोरचोली मिलिशिया कंपनी सी सेक्शन डिप्टी कमाण्डर, वर्ष-2007 से सक्रिय, ईनाम- 01.00 लाख रूपये।

14.मंगू पुनेम पिता बुड़ता पुनेम उम्र 21 वर्ष जाति मुरिया निवासी सावनार मुकापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- सावनार आरपीसी सीएनएम सदस्य, वर्ष-2017 से सक्रिय, ईनाम – 50.00 हजार रूपये।

15.आयतू कोरसा उर्फ एक्का पिता डोग्गा कोरसा उम्र 45 वर्ष जाति मुरिया निवासी सावनार पटेलपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- सावनार आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/कृषि शाखा अध्यक्ष, वर्ष-2002 से सक्रिय

16.आयतू कोवासी पिता मासा कोवासी उम्र 40 वर्ष जाति मुरिया निवासी केशकुतुल कर्रेगुबालीपारा पारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर, पदनाम- केशकुतुल आरपीसी जनताना सरकार सदस्य, वर्ष-1995 से सक्रिय

17.महेश माड़वी पिता कोसा माड़वी उर्फ मल्ला उम्र 29 वर्ष जाति मुरिया निवासी मर्रीवाड़ा तालाबपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- कमकानार आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/डॉक्टर टीम अध्यक्ष, वर्ष-2006 से सक्रिय

18.रोनी ताती पिता सोमलू ताती उम्र 24 वर्ष जाति मुरिया निवासी सावनार मुकापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- सावनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्या, वर्ष-2010 से सक्रिय

19.शांतू कोवासी उर्फ बोक्के पिता गुण्डरू कोवासी उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी केशकुतुल कर्रेगुबालीपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर, पदनाम- केशकुतुल आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य, वर्ष-2020 से सक्रिय

20.तुलसी पुनेम पति रमेश मोडियम उम्र 22 वर्ष जाति मुरिया निवासी मनकेली सरपंचपारा थाना बीजापुर जिला बीजापुर, पदनाम- मनकेली आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्या, वर्ष-2017 से सक्रिय

21.सनकू कोवासी पिता अंदो कोवासी उम्र 38 वर्ष जाति मुरिया निवासी केशकुतुल कर्रेगुबालीपारा थाना भैरमगढ़, पदनाम - केशकुतुल आरपीसी डीएकेएएमएस सदस्या, वर्ष-1995 से सक्रिय

22.जग्गू कुरसम पिता बुधरू कुरसम उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी मनकेली सरपंचपारा , पदनाम मनकेली आरपीसी पडियोरा कमेटी सदस्य/ग्राम मनकेली ग्राम सेल सदस्य वर्ष 2007 से सक्रिय,

23.मनकू राम कड़ती उर्फ गुटटा पिता मंगारू कड़ती उम्र 22 वर्ष जाति मुरिया निवासी चेरली कोकोडीपारा थाना मिरतुर, पदनाम- चेरली आरपीसी मिलिशिया सदस्या प्लाटून सदस्य, वर्ष 2019 से सक्रिय।

24.पायकू हेमला पिता सन्नू हेमला उम्र 32 वर्ष जाति मुरिया निवासी चेरली कोकोडीपारा थाना मिरतुर जिला बीजापुर पदनाम- चेरली आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/विद्या संस्कृति शाखा अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति और नियद नेल्लानार योजना के कारण कई माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि पुनर्वास, रोजगार और शिक्षा। इसके अलावा, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए भी राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। यह योजना माओवादियों को आत्मसमर्पण करने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप कई माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और समाज में शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण के पीछे जिले में हो रहे विकास कार्य बड़ा कारण रहा, तेजी से बनती सडक़ें, गावों तक पहुँचती विभिन्न सुविधाओं ने इन्हें प्रभावित किया है। संगठन के विचारों से मोहभंग एवं मिली निराशा, संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद इनके आत्मसमर्पण का बहुत बड़ा कारण है।

छत्तीसगढ़ शासन की नवीन पुनर्वास नीति ने कई माओवादियों को नई उम्मीद दी है और उन्हें संगठन के भीतर शोषण और क्रूर व्यवहार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया है। यह नीति उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन जीने की आशा देती है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में कैम्प स्थापित करने और क्षेत्र में चलाए जा रहे आक्रामक अभियानों ने भी माओवादियों को संगठन छोडऩे के लिए प्रेरित किया है। आत्मसमर्पित माओवादी क्षेत्रान्तर्गत सक्रिय रूप से कार्यरत रहे हैं और अब वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तैयार हैं । यह पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना और उन्हें सामान्य जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।

जिस प्रकार से क्षेत्र में माओवादियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है और माओवादी संगठन को काफी नुकसान हुआ है आने वाले समय में और भी नक्सलियों के संगठन छोडक़र आत्मसमर्पण करने की आसूचना प्राप्त हो रही है। आत्मसमर्पण कराने में डीआरजी, बस्तर फाईटर, एसटीएफ, केरिपु 85, 199, 222, 170, 153, 214 वाहिनी एवं कोबरा 202, 210 का विशेष योगदान रहा है। इस प्रकार माओवादियों के आत्मसर्पण से शीर्ष माओवादी कैडर के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सल मुक्त बस्तर की कल्पना साकार रूप ले रहा है।

अपील - बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ जितेंद्र कुमार यादव ने नक्सलियों से अपील की है कि वे सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हों। उन्होंने बताया है कि सरकार की नवीन पुनर्वास नीति के तहत् मिलने वाले फायदों ने कई माओवादियों को आकर्षित किया है। नक्सलियों के घर वाले भी उन्हें वापस लाना चाहते हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि वे बाहरी लोगों की भ्रामक बातों और विचारधारा से बाहर निकलें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हों, जहाँ वे निर्भीक रूप से सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

संगठन छोड़ने का कारण

छग शासन की पुनर्वास नीति के व्यापक प्रचार-प्रसार पुनर्वास योजना के तहत लाभ व परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने की सोच लिये समाज के भटके माओवादियों ने संगठन में उनके कार्यो की उपेक्षा करने, भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं माओवादियों के द्वारा आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचार से त्रस्त होकर,छ0ग0 शासन की आत्मसर्पण एवं पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर भारत के संविधान पर विश्वास रखते हुए उक्त माओवादियों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन हेतु शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत् 50000-50000/- रूपये पचास हजार रूपये का चेक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया गया।

ऑपरेशन साइबर शील्ड : रायपुर पुलिस ने तीन आरोपियों को दिल्ली से किया गिरफ्तार, ठगी के पैसों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर भेजते थे विदेश

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड अंतर्गत कार्रवाई जारी है। इस बीच पुलिस ने ठगी करने वाले मुख्य सरगना कुल 3 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी ठगी के पैसे से थाईलैंड, चाइना भेजने में शामिल चार्टड अकाउंटेंड, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने करते थे। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल बरामद हुआ है।

दरअसल, पीड़ित डॉ. प्रकाश गुप्ता ने उनके साथ शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम से 11 लाख ठगी होने पर थाना आमानाका में सूचना दिया था। रिपोर्ट पर शिकायत दर्ज कर जांच कर रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। जांच के दौरान ही आरोपी पवन सिंह, गगनदीप शर्मा, राजवीर सिंह, संदीप रात्रा सभी निवासी दिल्ली को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था।

ठगी का पैसा भेजते थे विदेश

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस दिल्ली रवाना हुई थी। इस दौरान दिल्ली में तीन अलग- अलग स्थानों मे रेड कार्रवाई की गई। रेड में आरोपियों से प्रकरण से संबंधित दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर बरामद किया गया। साथ ही ठगी के पैसों से खरीदी गई मकान, फ्लैट की जानकारी मिली। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि, फर्जी कंपनी के नाम से बैंक खाता खोलकर कर फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से रकम विदेश भेजा जाता था। इसके बाद रकम को बाद में वापस प्राप्त कर लिया जाता।

आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

आरोपियों के पास से बरामद की गई संपत्ति समेत दस्तावेज पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सभी गिरफ्तार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी में हिमांषु तनेजा, गणेष कुमार, अंकुश के नाम शामिल है।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों का किया समीक्षा

- कलेक्टर ने डीईओ, बीईओ, प्राचार्य, बीआरसी का लिया संयुक्त बैठक
- कलेक्टर ने एक माह से अनुपस्थित कर्मियों का विभागीय जांच करने के निर्देश दिए

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगढ़ के हाल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सामान्य बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, बीईओ सहित प्राचार्य, बीआरसी आदि उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी से परिचय के साथ उनके स्कूल के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने एक माह से अनुपस्थित कर्मियों का विभागीय जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर और नए स्कूल, भवन, शौचालय आदि के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और प्राचार्य को कहा कि अति जर्जर स्कूलों में बच्चों को नहीं बैठाएं। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, अन्य भवन में बैठाएं। समर कैंप का नियमित क्लास लगाएं। बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों को उजागर करने के लिए अवसर और माहौल दें। बच्चे अपने स्कूल में प्राचार्य, शिक्षक आदि से अनुशासन सहित अन्य व्यावहारिक आचरण सीखते हैं। इसलिए सभी अपने दैनिक जीवन में अच्छे आचरण करने की कोशिश करें। बोर्ड परीक्षा दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट अच्छा आए, इसके लिए स्कूली बच्चों की आवश्यक शिक्षा दें। रिटायर होने से पहले, उस रिटायर होने वाले शासकीय कर्मी का पेंशन प्रकरण को डेढ़ वर्ष पहले से प्रारंभ करें ताकि उनके रिटायर्ड के दिन उनका पूरा राशि उन्हें मिल सके, उन्हें भटकना न पड़े। इसी प्रकार सभी शासकीय कर्मी का सेवा पुस्तिका अपडेट होना चाहिए, चाहे पदोन्नति हो या नहीं हो। सभी कोशिश करें कि आपका स्कूल सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट रहे। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल, समग्र नोडल अधिकारी नरेश चौहान, बीईओ बरमकेला, बिलाईगढ़, सारंगढ़ क्रमशः नरेंद्र जांगड़े, सत्यनारायण साहू, रेशम लाल कौशले, एबीईओ मुकेश कुर्रे, सत्येंद्र बसंत आदि उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU